संख्या– / /XVIII(II)/2022–03(44)/2021

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 07 जनवरी, 2022

विषयः–मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–175/2021 "जनपद बागेश्वर के नगर पालिका परिषद, गरूड़ के कार्यालय भवन निर्माण हेतु रू0 1.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जायेगी" की पूर्ति हेतु नगर पालिका, परिषद, गरूड़ के कार्यालय भवन निर्माण हेतु 0.560 है0 अर्थात 28 नाली भूमि श्रेणी–9(3)ग गौचर भूमि निःशुल्क आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–24/11–03/एल0ए0सी0/2020–21, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–175/2021 की पूर्ति हेतु नगर पंचायत गरूड़ के कार्यालय भवन निर्माण हेतु ग्राम गढसेर के गैर जमींदारी विनाश श्रेणी–9(3)ग गौचर भूमि के खाता खतौनी संख्या–30 बसरह नं0–2 के खेत संख्या–27 मध्ये रकबा 0.115 है0 मध्ये 0.080 है0, खेत संख्या–830 मध्ये रकबा 0.235 है0 मध्ये 0.200 है0, खेत संख्या–831 मध्ये रकबा 0.513 है0 मध्ये 0.200 है0 एवं खेत संख्या–832 मध्ये रकबा 0.375 है0 मध्ये 0.080 है0 इस प्रकार कुल 04 खेतों का रकबा 1.238 है0 मध्ये 0.560 है0 अर्थात 28 नाली भूमि श्रेणी–9(3)ग गौचर के रूप में दर्ज अभिलेख आवंटन करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–175/2021 की पूर्ति हेतु नगर पंचायत गरूड़ के कार्यालय भवन निर्माण हेतु ग्राम गढसेर के गैर जमींदारी विनाश श्रेणी–9(3)ग गौचर भूमि के खाता खतौनी संख्या–30 बसरह नं0–2 के खेत संख्या–27 मध्ये रकबा 0.115 है0 मध्ये 0.080 है0, खेत संख्या–830 मध्ये रकबा 0.235 है0 मध्ये 0.200 है0, खेत संख्या–831 मध्ये रकबा 0.513 है0 मध्ये 0.200 है0 एवं खेत संख्या–832 मध्ये रकबा 0.375 है0 मध्ये 0.080 है0 इस प्रकार कुल 04 खेतों का रकबा 1.238 है0 मध्ये 0.560 है0 अर्थात 28 नाली भूमि श्रेणी–9(3)ग गौचर के रूप में दर्ज अभिलेख को शासनादेश सं0–260/वित्त अनुभाग–3/2002, दिनांक 15–02–2002, शासनादेश संख्या–111/XXVII(7) 50(39)/2015/2014, दिनांक 09–07–2015, शासनादेश संख्या–1887/XVIII/2015–18(169)/2015, दिनांक 30–07–2015

....2

तथा शासनादेश संख्या–496/XVIII(II)/2020–08(63)/2016, दिनांक 28 जुलाई, 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद के पक्ष में निःशुल्क आवंटन किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

(3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

(5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

(6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पडी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

(7) प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रस्तावित भूमि आवंटन के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र का गौचर के रूप में 05 प्रतिशत बनाये रखना आवश्यक होगा।

(9) इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उक्त आवंटित भूमि पर निर्मित भवन निर्धारित मानकों, भूकम्प विरोधी, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हारवेस्टिंग, सौर ऊर्जा आदि सुविधाओं को सुनिश्चित किया जायेगा।

3– कृपया, इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

....3

संख्या–82 /XVIII(II)/2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3– आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।

4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।

5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गीता शरद)

अनु सचिव।